

Press Release 29/7/2023

The Hon'ble XIII Additional Special CBI Court Judge S. Ezhilan Velan, Chennai, declared Sudarshan Venkatraman and Ramanujam Sesharathnam, the erstwhile Promoter Directors of M/s Zylog Systems Limited, as Fugitive Economic Offenders for the offences under the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEOA) in Spl CC 12 and Spl CC 13 of 2022.

ED initiated investigation under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) on the basis of FIRs registered by CBI, BS&FC, Bangalore under various sections of IPC and Prevention of Corruption Act, 1988 against Sudarshan Venkatraman and Ramanujam Sesharathnam and others.

ED investigation under PMLA revealed that proceeds of crime to the extent of Rs.186 Crore had been derived by the accused by committing the scheduled offences and of out of this, proceeds of crime to the extent of Rs.58.12 Crore has been taken outside the country by Sudarsan Venkatraman & Ramanujam Sesharathnam under the guise of making remittances to their subsidiary viz. M/s.ZSL Inc., USA and also against the bogus invoices raised by one of the vendors of ZSL company viz. M/s ISS Inc. The Duo has used the two flagship companies and several other conduits and fake companies to launder the banks' loans with the help of company officials and employees.

Provisional Attachment Orders worth Rs. 33 Crore were issued and subsequently Prosecution Complaint was also filed by ED against Sudarshan Venkatraman and Ramanujam Sesharathnam and others before The Hon'ble XIII Additional Special CBI Court Chennai for the offence of money laundering.

The Hon'ble XIII Additional Special CBI Court Chennai, has declared Sudarshan Venkatraman and Ramanujam Sesharathnam as Fugitive Economic Offenders for the offences under the Fugitive Economic Offenders Act, 2018. The attached properties worth Rs 33 Crore have also been confiscated to the Government of India by the Hon'ble Court, Chennai under the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.





Shri Sudharshan Venkatraman



Shri Ramanujam Sesharathnam



<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> 29/7/2023

माननीय 13 वां अतिरिक्त विशेष सीबीआई न्यायालय के न्यायाधीश एस. एझिलन वेलन, चेन्नई, ने सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम सेशरथनम को मेसर्स ज़िलॉग सिस्टम्स लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर निदेशकों को एसपीएल सीसी 12 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) और 2022 के एसपीएल सीसी 13 के तहत अपराधों के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया।

इस मामले में, सीबीआई, बीएस एंड एफसी, बैंगलोर द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम शेशरथनम और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई थी।

पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि 186 करोड़ रुपये की तक की अपराध जितत आगम आरोपी द्वारा अनुसूचित अपराध करके प्राप्त की गई थी और सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम शेशरथनम ने अपनी सहायक कंपनी मेसर्स जेडएसएल इंक, यूएसए और जेडएसएल कंपनी के विक्रेताओं में से एक द्वारा तैयार किए गए फर्जी चालान के पिरप्रेक्ष्य में भुगतान करने की आड़ में इसमें से 58.12 करोड़ रुपये अपराध की कमाई देश के बाहर ले जाया गया है।इन दोनों ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से बैंकों के ऋण को कम करने के लिए दो प्रमुख कंपनियों और कई अन्य अवैध चैनलों और नकली कंपनियों का उपयोग किया है।

33 करोड़ रुपये के अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए और बाद में ईडी द्वारा सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम शेशरथनम और अन्य के खिलाफ धन शोधन(मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध के लिए माननीय 13 वां अतिरिक्त विशेष सीबीआई कोर्ट चेन्नई के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई।

माननीय 13 वां अतिरिक्त विशेष सीबीआई न्यायालय, चेन्नई ने सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम शेशरथनम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 12 के तहत अपराधों के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। माननीय न्यायालय, चेन्नई द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत कुर्क संपत्तियों का भी अधिग्रहण कर लिया गया है।